

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2021 अपील (GCMS/2021/58)  
पंजीयन दिनांक - 15.06.2021  
निर्णय दिनांक - 09/09/22

1. श्रीमती सोनाली मारु पत्नि पीयुष मारु, निवासी 13-14, भानबाग, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर।
2. श्री पीयुष मारु पिता शान्तिलाल मारु, निवासी 13-14, भानबाग, न्यू फतेहपुरा, उदयपुर।
3. श्री जतन देवी माण्डोत पत्नि श्री चन्द्र प्रकाश माण्डोत, निवासी 46/5, अशोक नगर, उदयपुर।
4. श्रीमती सुरेखा पत्नि श्री गजेन्द्र माण्डोत, निवासी 46/5, अशोक नगर, उदयपुर।
5. श्रीमती राजुल जैन पत्नि श्री जसवन्त कुमार परमार, निवासी 2-बी, आदर्श नगर, युनिवर्सिटी रोड, उदयपुर।

-प्रार्थी

### बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी एव सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

-अप्रार्थी

### उपस्थिति:-

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील प्रार्थी
2. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा-151 जा.दी.

### आदेश

दिनांक .....09/09/22.....

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपील संख्या-23/2015 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 में वर्णित निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा में स्थित भूमि खसरा संख्या 380/265, 363/283 किता 2 रकबा 4.3200 हेक्टर भूमि स्थित है, जिसके जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 अनुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 रेकार्डेड खातेदार थे। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2011 से भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-ए के तहत उक्त आराजीयात की भूमि पर में समस्त व्यक्तियों के अधिकार एवं हित पर्यवसित किये जाकर भूमि राज्य हित में पुनर्ग्रहित की। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा-90ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय संभागीय

आयुक्त, उदयपुर समक्ष पेश की जिसके नम्बर 23/2015 होकर निर्णय दिनांक 17.12.2018 को पारित किया कि-

“प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंट्स के उपरोक्त वर्णित कथनों का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विश्लेषण किया गया और पाया गया कि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा में आराजी नम्बर 380/265, 363/283 किता 2 रकबा 4.3200 हेक्टर भूमि स्थित है। यह हाल आराजी पूर्व में साबिक आराजी संख्या 1 रकबा 128 बीघा 17 बिस्वा से निर्मित किये गये है। यह सम्पूर्ण आराजीयात की भूमि मेवाड़ रियासत काल में सेटलमेंट के समय सम्बत् 2000 में सरकार के खाते दर्ज थी व शिकमी के रूप में महकमा एग्रीकलचर डिपोटमेंट तालुक हवाला सुरजपोल के अंकित थी। जागीर पुर्नग्रहण के वक्त उक्त सम्पूर्ण आराजीयात सरकार के खाते में चली जाकर बिलानाम सरकार घोषित हुई। इसके बाद सम्बत् 2017 में उक्त आराजीयात के हिस्से को रघुनाथ सिंह पिता मनोहर सिंह राव के नाम दर्ज किया गया, इस अंकन के सम्बन्ध में कोई आदेश साक्ष्य पर नहीं है। उक्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज है। यह भूमि मौके पर पहाड़ी होने के कारण उदयपुर के मास्टर प्लॉन में परिधिय नियंत्रण पट्टी (पेरीफेरल कंट्रोल बेल्ड) अंकित की गई। नगर विकास प्रन्यास द्वारा उक्त पुनग्रहित की गई भूमि मौके पर पहाड़िया है जो करीब 350 फीट ऊंची है। अपीलान्ट द्वारा इसकी पुष्टि हेतु गुगल मेप प्रस्तुत किया गया है। पटवारी पटवार मण्डल शोभागपुरा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की उक्त आराजीयात मौके पर ऊंची पहाड़ियों के रूप में है। उक्त पहाड़ियों से वर्षा जल रूप सागर तालाब में जाता है अथा उक्त क्षेत्र रूपसागर तालाब के केचमेंट एरिया में स्थित है। पहाड़ियों के खनन से पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित होने के संभावना है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में नदी, नालों, तालाबों आदि के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय देकर उनके केचमेंट बहाव क्षेत्र इत्यादि को प्रतिबन्धित किया है एवं रूपसागर का प्राकृतिक जल संरक्षण, भराव व डूब क्षेत्र बाधित होगा।



वर्तमान में उक्त भूमि आबादी भूमि होकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज है एवं नगर विकास प्रन्यास द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके है। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण अनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजीयात पर खनन एवं निर्माण से पानी का प्राकृतिक बहाव प्रभावित न हो, प्राकृतिक जल संरक्षण, भराव व डूब क्षेत्र बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उदयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण होकर एवं इसकी भौगोलिक स्थिति के मध्यनगर पहाड़ियों में परिवर्तन करने इसके सोर्दयकरण के प्रभावित होने की संभावना है।

2  
समाप्त  
उदयपुर

उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो पट्टे जारी किये जा चुके हैं, उन पर निर्माण की स्वीकृति पूर्ण परिक्षण, खातेदारी की जांच कर एवं हील फ़ेडली कन्शक्द्रशन को देखते हुए दी जावें जिससे पहाड़ियों के मूलभूत स्थिति में परिवर्तन न हो और उनका सौर्दयकरण बना रहे।

साथ ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में भविष्य में जो पट्टे जारी किये जावें, उनके सम्बन्ध में पूर्ण परिक्षण कर एवं इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण कर निर्णय लेवें।

अपीलान्ट आबादी भूमि पर हक एवं खातेदारी अधिकार तय करने बाबत चाहे तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं समस्त दस्तावेजों के पुर्नवालोकन एवं परिक्षण किये जाने उपरान्त उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करें। साथ ही उपरोक्त विवेचन एवं प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करावें।”

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17.12.2018 की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपटित धारा-151 जा.दी. इस न्यायालय को दिनांक 14.06.2021 को प्रस्तुत किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया। वकील प्रार्थी फर्द अहकाम अनुसार पेशी तारिखों पर उपस्थित रहे व प्रार्थी का शपथ पत्र दिनांक 04.07.2022 प्रस्तुत किया, परन्तु अप्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर स्वयं कभी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए यद्यपि उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपना लिखित प्रत्युतर मय दस्तावेज जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य बन्द करते हुए अप्रार्थी के लिखित प्रत्युतर एवं प्रार्थी द्वारा दौराने कार्यवाही प्रस्तुत साक्ष्य/जवाब अनुसार निम्नानुसार आदेश पारित किया जा रहा है:

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2018 को निर्णय पारित किया गया, उस निर्णय के अनुक्रम में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए उक्त वर्णित निर्देश प्रदान किये गये और उक्त निर्णय के अनुक्रम में विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी संख्या-380/265, 363/283 के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्लान में प्राकृतिक बहाव बाबत तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, तहसीलदार, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण कर आप न्यायालय के निर्णय की पालना में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसमें तहसीलदार न्यास को दिनांक 06.03.2020 के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 24.01.2020 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और उस तथ्यात्मक प्रतिवेदन में जो कथन किये गये हैं, उसकी पालना सुनिश्चित कर दी जाती है तो उक्त क्षेत्र का प्राकृतिक बहाव प्रभावित

नहीं होगा तथा साथ ही उस तथ्यात्मक प्रतिवेदन में इन आराजीयात के क्षेत्र में प्राकृतिक बहाव में प्रोपर ड्रेनेज प्लान बनाया गया है तो उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक जल संरक्षण भराव एवं डुब क्षेत्र अवरूद्ध होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 24.01.2020 अपने आप में स्पष्ट है और उसके आधार पर जो प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि है, के बाबत जो कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा धारा-90बी की कार्यवाही का प्लॉन अनुमोदित किया गया और कुछ भुखण्डों का आवंटन भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पूर्व में जारी किये गये थे और यह सम्पूर्ण प्लॉन जो कि मौके की वास्तविक स्थिति के मध्यनजर तैयार किया गया था लेकिन फिर भी आप न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा तैयार किया गया उसके किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि पर पट्टे जारी नहीं करने बाबत अंकन नहीं है। न ही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा राजस्थान सरकार की हिल पालिसी के तहत कार्यवाही सम्पादित की और अपने स्तर पर जाकर बिना किसी अधिकार के कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 05.08.2020 पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 05.08.2020 पूर्ण रूप से तथ्यों, हिल पालिसी एवं मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित है। कन्टूर मैप जो नगर विकास प्रन्यास की पत्रावली में है, जिसमें प्रार्थी के प्लॉन में जो ए.ए. से मार्किंग कर रखी है, वह 12 डिग्री तथा बी. बी. में 11 डिग्री और सी.सी. में 14 डिग्री। इस प्रकार कन्टूर मैप में प्रार्थी की जमीन मुख्य सम्पर्क सड़क के मध्य रेखा से 14 डिग्री के ढलान का क्षेत्र है। हिल पॉलिसी में मुख्य सड़क की मध्य रेखा से 15 डिग्री से कम ढलान का क्षेत्र हो तो वह पहाड़ की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है और उसमें नियमन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार जब हिल पॉलिसी अपने आप में स्पष्ट है लेकिन इन हिल पॉलिसी एवं माननीय न्यायालय आपके निर्णय के विपरित जाकर दिनांक 05.08.2020 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा आदेश पारित कर केवल मात्र ब्लॉक ए व बी के कुछ भुखण्डों बाबत आवंटन एवं पट्टे की कार्यवाही बाबत आदेशित किया जो पूर्ण रूप से गलत है। जब तथ्यात्मक प्रतिवेदन, हिल पॉलिसी स्पष्ट है फिर भी इस हिल पॉलिसी के विपरित जाकर एवं न्यायालय आप द्वारा की गई विवेचना के विपरित जाकर जो कार्यवाही दिनांक 05.08.2020 को संस्थित की गई, वह न्यायालय आपके आदेश की अवमानना को दर्शाता है, जो नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 05.08.2020 को जो आदेश पारित किया गया उसे अपास्त करते हुए प्रार्थीगण के अनुमोदित प्लॉन में स्थित सम्पूर्ण भुखण्डों आवंटन/पट्टे जारी करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है जिस बाबत प्रश्नगत प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2018 की पालना विपक्षी द्वारा नहीं करने के कारण एवं आप न्यायालय के आदेश की अवमानना कारित करने के कारण विपक्षी के कर्मचारी/अधिकारियों को सिविल जेल भिजवाये जावें एवं साथ ही विपक्षी को आदेश प्रदान कराया जावें कि वो प्रार्थीगण के अनुमोदित प्लॉन में स्थित सम्पूर्ण भुखण्डों के आवंटन/पट्टे जारी करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।



2-

जयपुर न्यायालय  
2018

जैसा कि उपरोक्त में अंकन किया गया है, कि दौराने कार्यवाही अप्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर स्वयं कभी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए यद्यपि उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपना लिखित प्रत्युतर जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किये गये कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा हिल पॉलिसी की पालना सुनिश्चित करके ही आदेश दिनांक 05.08.2020 पारित किया गया है क्यों कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका प्रकरण अनवान अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार न्यास एवं तकनिकी अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/रिपोर्ट पर उपनगर नियोजक की टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार कंटूर मेप पर अंकित ब्लॉक-ए भुखण्ड संख्या-61 से 76 एवं ब्लॉक भुखण्ड संख्या 40 से 43 की कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा प्रस्तावित की गई। उक्त संशोधित आदेश के आधार पर विस्तृत आदेश दिनांक 05.08.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 07.08.2020 को पारित करते हुए भुखण्ड संख्या 61 से 76 ब्लॉक-ए एवं भुखण्ड संख्या 40 से 43 ब्लॉक-बी के आवंटन/पट्टे जारी करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में उपरोक्त भुखण्डों के आवंटन-पत्र जारी किये जा चुके हैं। विकासकर्ता द्वारा 100/- रुपये के शपथ पत्र पर, 12.5 प्रतिशत में भुखण्डों के पट्टे रोकते हुए शेष भुखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं, जिसके समर्थन में प्रार्थीगणों द्वारा अपने शपथ पत्र में लिखकर दिया गया है कि 12.5 प्रतिशत में गारण्टी के रूप में भुखण्ड संख्या 41 से 43, 76 कुलिया भुखण्ड क्षेत्र 18406.25 वर्गफीट रोक जा रहा है। उक्त भुखण्डों में हमें सम्पूर्ण विकास कार्य होने के उपरान्त ही जारी किये जावे। शेष भुखण्डों संख्या 40, 61 से 75 के पट्टे जारी करवाने की कृपा करावें। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2018 की पालना में न्यास द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए भुखण्ड संख्या 61 से 76 व 40 से 43 का नियमन करने का निर्णय लिया जा चुका है। तदनुसार आवंटन/पट्टे भी जारी किये जा चुके हैं। इस प्रकार नगर विकास प्रन्यास द्वारा माननीय न्यायालय के प्रदत्त निर्देशों की पालना की गई, न कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना/अवमानना की गई है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी., अधिवक्ता प्रार्थी की बहस, प्रस्तुत शपथ पत्र मय साक्ष्य, प्राप्त लिखित प्रत्युतर मय दस्तावेज एवं संलग्न न्यायालय के निर्णय का विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं अध्ययन किया।

सर्वप्रथम आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी सुलभ संदर्भ हेतु यहा उद्धरित किया जाना उचित समझते हैं।

“आदेश 39

अस्थायी व्यादेश और अन्तर्वर्ती आदेश

अस्थायी व्यादेश

1. वे दशाएं जिसमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा- जहा किसी वाद में शपथ पत्र द्वारा या अन्या वह साबित कर दिया जाता है कि-

(क) वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रात करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका संदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा

(ख) प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट-वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हाने या व्ययनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है, अथवा

(ग) प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा हानि पहुंचाने की धमकी देता है।

वहा न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किये जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किये जाने, विक्रय किये जाने, हटाए जाने या व्ययनित किये जाने से अथवा (वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से) रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद का निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाएं।

2. भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरूद्ध करने के लिए व्यादेश - (1) संविदा भंग करने से या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को अवरूद्ध करने के किसी वाद में, चाहे वाद में प्रतिकर का दावा किया गया हो या न किया गया हो, वादी प्रतिवादी को परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने में या तद्रूप क्षति करने से, जो उसी संविदा से उद्भूत होती हो या उसी सम्पत्ति या अधिकार से संबंधित हो, अवरूद्ध करने के अस्थायी व्यादेश के लिये न्यायालय से आवेदन, वाद प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय या निर्णय के पहले या पश्चात् कर सकेगा।

(2) न्यायालय ऐसा व्यादेश, ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा रखने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में ऐसी निबन्धनों पर या अन्यथा, जो न्यायालय ठीक समझे, आदेश द्वारा दे सकेगा।

2ए. व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम - (1) नियम 1 व 2 के अधीन दिये गये किसी व्यादेश या किए गए अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनों पर व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था उसमें किसी निबन्धन के भंग के दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अंतरित की गई है, वह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरूद्ध किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निर्देश न दे दे।

(2) इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा।”

इसी प्रकार धारा-151 जा.दी. सुलभ संदर्भ हेतु यहा उद्धरित किया जाना उचित समझते है।

“151. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति- इस संहिता की किसी बात में बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को निवारण करने के लिए आवश्यक है।”

उपरोक्त प्रावधान आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा किसी अस्थायी व्यादेश की अवहेलना करने पर अवमाननाकर्ता की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है एवं दोषी व्यक्ति को 3 माह तक की सिविल कारावास की सजा भी दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपटित धारा 151 जा.दी. के साथ संलग्न न्यायालय हाजा के निर्णय के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 अंतिम निर्णय है, न की अंतरित आदेश है जबकि आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी अस्थायी व्यादेश/अंतरिम आदेश पर लागू होता है। उपरोक्त प्रावधानों के प्रकाश में इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि इस न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 17.12.2018 की अवमानना का प्रकरण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2ए के प्रावधानों से स्पष्टतः शासित नहीं होता है, परन्तु धारा-151 जा.दी. के उपरोक्त प्रावधान इस न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों के लिए तथा न्यायालय के आदेशों के दुरुपयोग/अवहेलना/क्रियान्वयन न करने पर निवारण/विधिक उपचार के लिए सशक्त करती है। अतः न्यायालय हाजा निर्णय 4 वर्ष पूर्व पारित किये जाने उपरान्त भी उनकी पालना नहीं किये जाने के आक्षेपों के दृष्टिगत यह न्यायालय हस्तगत प्रार्थना पत्र को धारा-151 जादी के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रकाश में निर्णित किया जाना उचित समझती है।



इस न्यायालय की हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2020 अवलोकन से प्रकट आया है कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पत्र दिनांक 24.01.2020 से तहसीलदार न्यास को अधिशाषी अभियंता-न्यास, सहायक अभियंता-न्यास एवं कनिष्ठ अभियंता-न्यास के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण कर न्यायालय हाजा के निर्णय 17.12.2018 की पालना में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में तहसीलदार न्यास द्वारा पत्र क्रमांक 574 दिनांक 06.03.2020 के साथ तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके मुख्य बिन्दु उक्त आदेशानुसार निम्नानुसार है-

- (अ) न्यास के पत्र दिनांक 24.01.2020 के बिंदु संख्या 01 के क्रम में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्णित आराजीयात का अनुमोदित प्लान मैदान क्षेत्र में नहीं होकर पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी डूब क्षेत्र नहीं है। अनुमोदित प्लान में प्राकृतिक बहाव में प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम (अनुमोदित प्लान अनुसार) 30 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर 3 फीट चौड़ाई में आर.सी.सी. वाल की नाली एक तरफ तथा आंतरिक 30 फीट चौड़ी सड़कों पर दोनों ओर 3-3 फीट चौड़ाई में आर.सी.सी. वाल की नाली तथा प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क पर दोनों ओर 5-5 फीट

चौड़ाई में आर.सी.सी. वाला का नाला तथा शेष अन्य प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सड़क पर दोनों ओर 5-5 फीट चौड़ाई में, 30 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर 3 फीट चौड़ाई में आर.सी.सी. वाल की नाली एक तरफ अन्य खातेदारों द्वारा बनाया जाना उचित होगा, जिससे उक्त क्षेत्र का प्राकृतिक बहाव प्रभावित नहीं होगा।


- (ब) न्यास के पत्र दिनांक 24.01.2020 के बिन्दु संख्या 02 के क्रम में वर्णित आराजीयात का अनुमोदित प्लान मैदानी क्षेत्र में नहीं होकर पहाड़ी क्षेत्र में है, जिसमें उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक बहाव में प्रोपर ड्रेनेज सिस्टम (अनुमोदित प्लान अनुसार) बनाया जाता है तो उक्त क्षेत्र में प्राकृतिक जल संरक्षण, भराव एवं डूब क्षेत्र अवरूद्ध होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी।

उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार संयुक्त मौका निरीक्षण दल द्वारा राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी संख्या 380/265, 363/283 किता 2 रकबा 4.3200 हेक्टेयर भूमि के उक्त शर्तों अनुसार आवंटन/पट्टे जारी करने पर उक्त क्षेत्र का प्राकृतिक बहाव प्रभावित नहीं होना बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 07.08.2020 से भुखण्ड संख्या 61 से 76 ब्लॉक-ए व ब्लॉक संख्या-बी भुखण्ड संख्या 40 से 43 के नियमन व आवंटन/पट्टे जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात के संबंध में सभी पट्टे जारी नहीं करने पर हस्तगत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा में निर्णय दिनांक 17.12.2018 की अनुपालना में शेष पट्टे भी जारी कराने हेतु न्यास को आदेशित कराने हेतु लिखा गया। न्यास द्वारा अवमानना प्रकरण को प्रवाही में प्रार्थी की ओर से उनके समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी स्वयं द्वारा 12.5 प्रतिशत में गारंटी के रूप में भुखण्ड संख्या 41 से 43, 76 कुलिया भुखण्ड क्षेत्रफल 18406.25 वर्गफीट रोक जा रहा है, उक्त भुखण्ड के पट्टे सम्पूर्ण विकास कार्य होने के उपरान्त ही जारी किये जावे, शेष भुखण्ड के पट्टे जारी किये जावें।

उपरोक्त समस्त स्थिति से प्रथमदृष्टया यह सामने आया है कि संयुक्त मौका निरीक्षण दल द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन में उपरोक्त विकास कार्य के साथ प्राकृतिक बहाव प्रभावित नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी जो कि इस भूमि का विकासकर्ता है, उसने स्वयं 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 18406.25 वर्गफीट को गारन्टी के रूप में रोके जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। न्यास द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 07.08.2020 से भुखण्ड संख्या 61 से 76 ब्लॉक-ए व ब्लॉक संख्या-बी भुखण्ड संख्या 40 से 43 के नियमन व आवंटन/पट्टे जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये। संक्षिप्त में यह कहा जाना उचित है कि 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 18406.25 वर्गफीट को छोड़ते हुए शेष भूमि के पट्टे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.12.2018 में प्रदत्त निर्देशों अनुरूप जारी किया जाना था, जिसे पूर्णरूप से जारी नहीं किये जाने के आक्षेप प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र से प्रस्तुत किये गये है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नहीं समझता है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जा.दी. को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.12.2018 की पालना एवं क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल 18406.25 वर्गफीट को प्रार्थी द्वारा विकास कार्य करने की गारन्टी पेटे छोड़ते हुए शेष भुखण्डों के पट्टे जारी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाएं। न्यायालय हाजा के इस आदेश की पालना नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। प्रार्थी से भी यह अपेक्षित है कि उक्त आराजीयत के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भुखण्ड के पट्टे प्राप्त करने हेतु प्रचलित नियमों/पॉलिसी के तहत अविलम्ब विकास कार्य पूर्ण करावे जिससे न्यास नियमानुसार सभी भुखण्डों के पट्टे जारी करें। उक्त आदेश के साथ हस्तगत प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार हो। आदेश की प्रति प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

आदेश सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र भट्ट)  
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

